न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी— श्री अनूप सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
19/2024	14.06.2024	27.08.2024

मक्खनलाल पुत्र ताराचन्द जाति वैष्णव निवासी खूंटला तह0 गंगापुर सिटी
—प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :— श्री रूपसिंह गुर्जर, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1571 रकबा 3.42 है0 ग्राम खूंटला सलोना तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है। जिसका नया खाता संख्या 134 एवं पुराना खाता संख्या 123 है। प्रार्थी का नाम मक्खनलाल एवं प्रार्थी के पिता का नाम ताराचन्द है जिसमें सहवन से प्रार्थी का नाम मक्खनलाल पुत्र ताराचन्द के बजाय माखनदास पुत्र नारानदास अंकित हो गया। उक्त गलती पटवारी हलका द्वारा की गई लिपिकीय गलती है। प्रार्थी का नाम समस्त रिकार्ड में मक्खनलाल पुत्र ताराचन्द ही है। उक्त माखनदास पुत्र नारानदास लिपिकीय गलती से दर्ज किया गया है, जो दुरूस्त होने योग्य है। प्रार्थी की पहचान के समस्त दस्तावेजात राशनकार्ड आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड में मक्खनलाल पुत्र ताराचन्द अंकित है। ऐसी स्थिति में रेवन्यु रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहवन से माखनदास पुत्र नारानदास दर्ज किया गया है उसको मक्खनलाल पुत्र ताराचन्द दुरूस्त किया जाना न्याय सम्मत एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पटवारी हल्का से जांच करवाकर आराजीयात की खाता संख्या नया 134 व पुराना 123 खसरा नम्बर 1571 रकबा 3.42 है0 स्थित ग्राम खूंटला सलौना तहसील गंगापुर सिटी में प्रार्थी का नाम माखनदास पुत्र नारानदास की जगह मक्खनलाल पुत्र ताराचन्द संशोधित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 134 ग्राम खूंटला सलोना, फोटोकोपी आधार कार्ड, फ़ोटोकोपी जनआधार कार्ड, फोटोकोपी मतदाता पहचान पत्र, नकल खतौनी

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट ★ गंगापुर सिटी (राज0) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

जमाबंदी भू-प्रबन्ध विभाग संo 2039, नकल जमाबंदी संo 2026 से 2029 प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का नाम वर्तमान जमाबंदी संo 2073 से 2076 जमाबंदी 2074 वर्ष 2018 से स्थाई में माखनदास पुत्र नारानदास अंकित है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों जनआधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व आधारकार्ड में मक्खनलाल पुत्र ताराचन्द अंकित है। प्रार्थी का नाम सही नाम मक्खनलाल पुत्र ताराचन्द ही है तथा मक्खनलाल पुत्र ताराचन्द व माखनदास पुत्र नारायणदास दोनों एक ही व्यक्ति है। जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का सही नाम मक्खनलाल पुत्र ताराचन्द शुद्ध करने की अभिशंषा की जाती है।

लैण्ड होल्डर द्वारा अपने जबाब के साथ मूल रिपोर्ट पटवारी हलका खूंटलासलोना दिनांक 11.7.2024, नकल जमाबंदी संo 2026 से 2029, नकल जमाबंदी संवत 2073–2076 प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती पर प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा है कि प्रार्थी का सही नाम मक्खनलाल पुत्र ताराचन्द है परन्तु रिकार्ड में माखनदास पुत्र नारानदास अंकित किया हुआ है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी का सही नाम मक्खनलाल पुत्र ताराचन्द ही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम दुरूस्ती फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के साथ प्राप्त नकल जमाबंदी संo 2026 से 2029 के अनुसार प्रार्थी का नाम माखनदास पुत्र तारादास वैष्णव दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी संo 2073 से 2076 में प्रार्थी का नाम माखनदास पुत्र नारानदास अंकित है। प्रार्थी के जनआधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम मक्खनलाल पुत्र ताराचन्द दर्ज है। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मक्खनलाल पुत्र ताराचन्द व माखनदास पुत्र नारानदास दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने प्रार्थी का सही नाम मक्खनलाल पुत्र ताराचन्द बताया है एवं इसी अनुसार शुद्ध करने की अभिशंषा की है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:30 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम खूंटलासलोना की जमाबंदी सं0 2073 से 2076 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2018) से स्थायी के खाता संख्या 134 में क्रम संख्या 32 पर दर्ज नाम माखनदास पुत्र नारानदास के स्थान पर मक्खनलाल पुत्र ताराचन्द दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती की जावे। जमाबंदी में दर्ज शेष अंकन यथावत रहेंगे।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.8.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:30 IST
Reason: SelfAttested